सोशल सेक्योरिटी स्कीम अनआर्गनाइज्ड लेबरर्स के लिए बनायी थी और उसका एक पायलेट प्रोजेक्ट कुछ जिलों में शुरू होना था, क्या आपने वह पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया? अगर वह शुरू किया तो उसका कोई आकलन, कोई विश्लेषण अभी तक आपके पास आया है? क्या उसका समावेश आप इस बिल के अंदर करने जा रहे हैं?

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: आदरणीय सभापति जी, वर्ष 2004 में जो एक पायलेट प्रोजेक्ट आया, वह सिर्फ कुछ दिन के लिए आया और उसके बाद सरकार ने उसको फाइनेंशियल बैंकिंग नहीं दिया। अभी हम क्या ला रहे हैं, इसके बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि हम फाइनेंशियल बैंकिंग देकर उसकी शुरूआत करेंगे और बाद में जो सुधार ला सकते हैं, वे हम लायेंगे।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

*484. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी को अदालती आदेश के बावजूद पेंशन का भुगतान नहीं करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च, 2007 में गृह मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का काम करने वाले विभाग के रवैए पर नाराजगी व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पेंशन का भुगतान किए जाने संबंधी उच्च न्यायालय के मार्च, 2006 के उस आदेश का पालन न करने, जिसमें फरवरी, 2007 तक पेंशन का भुगतान करने को कहा गया था, से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और पात्र स्वतंत्रता-सेनानियों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिक राव गावित): (क) से (ग) इस संबंध में एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) श्री अश्वनी कुमार मिश्रा को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान किए जाने के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.5.2000 के अपने आदेश के तहत सरकार को निदेश दिया था कि पेंशनर के दावे पर नए सिरे से विचार किया जाए। तदनुसार दावे पर पुन: विचार किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया था और 12.9.2000 को इस बारे में पेंशनर को उचित रूप से बता दिया गया था। इसके बाद एक और रिट याचिका में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 31.3.2006 के आदेश के तहत श्री मिश्रा को पेंशन दिए जाने की अनुमति प्रदान कर

दी। इसकी जाँच करने पर विधि मंत्रालय ने अपील दायर करने की सलाह दी और तदनुसार 21.4.2006 को केन्द्र सरकार की स्थाई काउंसल को अनुदेश जारी किए गए। यद्यपि इस मामले पर कार्रवाई की गई थी लेकिन अपील दायर करने में विलम्ब हुआ। अंतरिम कार्रवाई के रूप में अवमानना याचिका दायर कर दी गई थी। यद्यपि यह माननीय न्यायालय के विचाराधीन है लेकिन 26.2.2006 को अपील भी खरिज कर दी गई थी। इसके बाद न्यायालय के दिनांक 31.3.2006 के आदेश का अनुपालन करते हुए इस मंत्रालय ने स्वत: ही 26.2.2007 को सर्शत पेंशन की मंजूरी का अनुमोदन किया। पेंशन की बकाया राशि, पेंशनर के होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) स्थित बचत बैंक खाते में जमा कर दी गई थी । न्यायालय की अवमानना, 14.3.2007 को खारिज कर दी थी।

Pension to freedom fighters

†*484. SHRI JAI PARKASH AGGARWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the High Court of Delhi expressed displeasure in March, 2007, with regard to the attitude to the department dealing with pension of freedom fighters in the Ministry of Home Affairs, in the matter of non-payment of pension to senior freedom fighters, in spite of the order of the Court;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) whether Government have taken any action against the concerned officers for non-compliance of the High Court's order of March, 2006 directing the payment of pension by February, 2007, and have taken any steps to ensure payment of pension to the eligible freedom fighters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MANIKRAO GAVIT): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) In a matter relating to grant of freedom fighter's pension to Shri Ashwani Kumar Mishra, the Hon'ble High Court of Delhi, *vide* its order dated 3-5-2000, had directed the Government that the claim of the petitioner may be considered afresh. The claim was accordingly reconsidered, rejected and the petitioner duly informed on 12.9.2000. Subsequently, the

†Original notice of the question was received in Hindi.

Hon'ble High Court of Delhi, *vide* its order dated 31.3.2006, in another writ petition, allowed the grant of pension to Shri Mishra. On examination, the Ministry of Law advised for filing an appeal and instructions were accordingly issued on 21.4.2006 to the Central Government Standing Counsel. Though the matter was pursued, the filing of the appeal was delayed. In the interim, a contempt petition was filed. While this was under consideration by the Hon'ble Court, the appeal was also dismissed on 26.2.2007. Conditional sanction of pension was thereafter approved by this Ministry on 26.2.2007 itself in compliance of the Court order dated 31.3.2006. Arrears of pension were deposited in the Savings Bank Account of the petitioner at Hoshangabad (M.P.). The contempt was discharged on 14.3.2007.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि जो पेंशन फ्रीडम फाइटर्स को मिलती थी, उसको बढ़ाकर दस हजार रुपए कर दिया है। हालांकि मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं। मेरी मांग यह थी कि जितनी पेंशन मैंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है, क्योंकि उन लोगों की गिनती बहुत कम रह गयी है, उतनी ही पेंशन उन लोगों को मिलनी चाहिए। दस हजार की रकम से किसी भी परिवार की जरूरत पूरी नही होती। जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया, मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग रह गये हैं, कितने केसिज़ आपके पास हैं जो इस झगड़े में फंसे हुए हैं? जो जवाब आपने दिया है, आप इसको देखकर संतुष्ट नही होंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कितने केसिज़ ऐसे हैं जो झगड़े में पड़े हुए हैं?

श्री माणिक राव गावित: महोदय, इसी प्रश्न के संबंध में, जो माननीय सदस्य ने कहा, मैंने उत्तर दिया है। इस वर्ष राष्ट्रीय सत्याग्रह आन्दोलन की डेढ़ सौवीं वर्षगांठ मना रहे है। इसके लिए भारत सरकार ने, अभी माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न किया, एक समिति बनायी है और समिति को यह काम दिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित विषयों को देखना तथा उनके शीघ्र निपटान हेतु सुझाव देना इसलिए दो-तीन मुद्दों पर यह कमेटी बनायी है और उसमें जो पेंडिंग केसिज़ हैं, उन पेंडिंग केसिज़ के संबंध में यह है कि जिला अधिकारी से जो प्रपोज़ल आता है, राज्य सरकार से उसके बाद रिकमेंडेशन होकर प्रपोज़ल आता है और यहां पर उस प्रपोज़ल की छान-बीन करके फिर उनकों पेंशन दी जाती है। अभी इस प्रश्न में इतना ही उन्होंने पूछा था।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मैंने यह भी पूछा था कि कितने केसिज़ पेंडिंग पड़े हैं।

श्री माणिक राव गावित: सर, कितने केसिज़ पेंडिंग हैं, उनके बारे में राज्यवार लिस्ट मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो केसिज़ रह गए हैं और जो आपने पेंशन बढ़ायी है, वह उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए क्योंकि जो आपने फैसला किया है, वह उन तक नहीं पहुंचा और लागों को पैसे मिलने शुरू नहीं हुए हैं। सर, क्योंकि आप सीधे और सच्चे इंसान हैं, गांधीवादी हैं, टोपी पहनते हैं इसलिए आपसे इतना निवेदन है ...(**व्यवधान**)...

श्री माणिक राव गावित: 2006 को जो पेंशन बढ़ायी गयी है, उसके आदेश हो गए हैं। उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार के पास आदेश जाता है, राज्य सरकार से जिला अधिकारी के पास आदेश जाता है और जिला अधिकारी से जो बैंक हैं, जो ट्रेज़रीज़ हैं, उन तक आदेश जाने में थोड़ा विलम्ब हुआ है लेकिन यहां से आदेश हो चुके हैं।

श्री सीताराम येचुरी: महोदय, यह काफी शर्मनाक बात है इसलिए हम इस सवाल को उठाने के लिए खड़े हुए हैं। दो साल से कम से कम तीन हज़ार से ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स आंध्र प्रदेश से सिर्फ इस रिकग्नीशन के लिए बैठे हैं कि उनको फ्रीडम फाइटर घोषित कर दिया जाए। उनको न पेंशन चाहिए, न पैसा चाहिए, उनको सिर्फ इज्ज़त चाहिए। हरेक दिन इनमें से एक-आध गुज़र जाता है। मेरा अनुरोध है कि मरने से पहले उनको सरकार यह इज्ज़त तो दिलवा दे। उनको बेशक आप पैसे न दो, हमें पैसे नहीं चाहिए। सिर्फ यह इज्ज़त तो दीजिए कि वे अपने देश के लिए लड़े। 1857 की आप जो डेढ़ सौवीं सालगिरह मना रहे हैं, वह आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई का पहला संघर्ष था। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात होगी कि...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: आपकी आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, क्या सिर्फ हमारी आज़ादी की लड़ाई थी?

श्री सभापति: डिस्टर्ब मत करिए।

श्री सीताराम येचुरी: हम सबकी आज़ादी की लड़ाई थी आप मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: तेलुगु हिन्दी है। ''आपकी'' का मतलब ''हमारी''। यह तेलुगु हिन्दी है।

श्री सीताराम येचुरी: अगर आपकी इज़ाजत हो तो मैं अब तेलुगु में बोलूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं तो आपकी वकालत कर रही हूं। मैं तो कह रही हूं कि तेलुगु हिन्दी है, ''आपकी'' का मतलब ''हमारी'' स्वतंत्रता की लड़ाई ही था।

श्री सीताराम येचुरी: शुक्रिया, शक्रिया आपने ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं तो आपका साथ दे रही हूं।

श्री सीताराम येचुरी: चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यही जानना चाहूंगा कि इनमें से कई सौ लोगों ने आंध्र के सेक्रेटेरिएट पर चार दिन तक धरना दिया, दिल्ली में आकर पार्लियामेंट के सामने धरना दिया, हजारों की तादाद में दिल्ली में, संसद के सामने, यह कहने के लिए आए कि हम देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, हमे सिर्फ वह स्वीकृति दे दो, पैसे की बात नहीं है। वे प्रधान मंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि नई कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन वह कमेटी आज तक बनी नहीं है। ढाई साल हो गए हैं, पता नहीं वह कमेटी अभी तक बनी है या नहीं बनी है। इसमें क्या विलम्ब हो रहा है? यह बहुत शर्मनाक बात है, ज़रा इसका जवाब तो दीजिए।

श्री सभापति: ठीक है, मंत्री जी, बताइए।

श्री माणिक राव गावित: महोदय, पहले तो मैं श्रद्धेय सदस्य महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि आंध्र प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वहां पर आंध्र प्रदेश सरकार ने ही डी॰जी॰ विजिलेंस की इनक्वायरी शुरू की है, इसलिए इसमें विलम्ब हो रहा है और जो पहले आंध्र प्रदेश सरकार के डी॰जी॰ विजिलेंस ने रिपोर्ट दी है, उस पर यहां भारत सरकार द्वारा छानबीन करके उसका निपटारा किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN : Next question. (*Interruptions*) Next question important है। ...(व्यवधान)... यह कोई बात नहीं है, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, this is important. (*Interruptions*) The Committee needs to be ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, next question भी ऐसा ही है।...(व्यवधान)... Question No. 485 ...(व्यवधान)... Please take your seat. *(Interruptions)*

श्री शरद यादव: सभापति जी, यह जो जवाब आया है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: उसको छोड़िए। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: सर, सीताराम येचुरी जी ने एक सवाल ऐसा खड़ा किया ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वह अच्छा किया, लेकिन जवाब वहां नहीं है, तो अच्छा करने से क्या मतलब है? ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: सर, दूसरे मंत्री तो बैठे हैं।

श्री सभापति: आप जानते हैं कि अगर एक मंत्री बैठा हो, तो क्या दूसरा जवाब दे सकता है? ऐसे मामले पर तो Half-an-hour Discussion होना चाहिए।

श्री सीताराम येचुरी: सर, आप कह रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: हां, मैंने कह दिया है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, आप लिखित जवाब पढ़िए, जितना पैसा ये वकीलों को लिटिगेशन में दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: छोड़िए... छोड़िए, आगे भी ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: केसेज लड़ने के लिए ये जितना दे रहे हैं, उतने में तो ये स्वतंत्रता सम्मान पेंशन दे देते। उसमें तो दस स्वतंत्रता सम्मान पेंशन मिल जाएं।

Increase of pay scales of Army personnel

*485. MS. SUSHILA TIRIYA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal to increase the pay scales of Army personnel;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the increase in pay will cover all the three services of Armed Forces?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M.PALLAM RAJU): (a) to (c) Government has set up the Sixth Central Pay Commission to go into the question of pay, allowances and other facilities/benefits of Central Government Employees including Armed Forces Personnel. The three services have submitted a joint memorandum to the Sixth Central Pay Commission seeking increase in Pay Scales, enhancement of existing allowances, introduction of new allowances etc.

सुश्री सुशीला तिरिया: सर, मेरा पहला सप्लीमेंटरी यह है कि आजकल डिफेंस में जिस तरह से आर्मीज़ को तनख्वाह दी जा रही है, एक कॉल सेंटर से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी, रिप्लाई तो उन्होंने दिया है कि अभी भी कंसिडरेशन में है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी में सांसदों द्वारा डिमांड करने के बावजूद भी उनका पे-स्केल अभी तक बढ़ाया नहीं गया है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या यंगस्टर्स को